(M)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 683–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 21–10–2011 पारित अनुविभागीय अधिकारी, दमोह प्रकरण कमांक 87/अ–70/2010–11 अपील.

श्रीमती ज्योति दीक्षित जोजे अनिल दीक्षित
मुख्त्यार खास अनिल दीक्षित नि0 जबलपुर नाका
राजा पटना बैंक के पास, दमोह

—— आवेदक

विरूध्द

श्रीमती मालती नायक जोजे नंदनलाल रायब
निवासी नया बाजार नं0 2, दमोह,
तह0 व जिला दमोह, म0प्र0

— अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 11. 8. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के अपील प्रकरण कमांक 87/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21–10–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक मालती नायब व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि सीमांकन से मौके पर स्पष्ट हुआ कि खसरा क0 678 के

रकबा 0.009 यानि 924 वर्गफुट पर श्रीमती ज्योति दीक्षित व्दारा जबरन कब्जा किया गया है। अतः उन्होंने अवैध कब्जा हटाये जाने का अनुरोध किया। तहसील न्यायालय व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और दिनांक 12–5–08 को 2 वाद बिन्दू निर्धारित कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार ने अनावेदक/आवेदक के तर्क सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 8–8–11 व्दारा अनावेदक का धारा 250 का आवेदनपत्र अस्वीकार किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक व्दारा शिकायती आवेदन कलेक्टर जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे निराकरण के लिये कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी को भेजा। अनावेदक व्दारा कार्यवाही प्रारम्भ करने पर अनावेदक व्दारा शिकायती आवेदन को अपील मानकर निराकरण करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को श्रवण करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 21–10–2011 व्दारा तहसील न्यायालय का आदेश 8–8–11 निरस्त कर प्रकरण विधिवत निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक व्दारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था और विधि व नियमानुसार अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। उनका तर्क है कि शिकायती आवेदन को अपील मानने का प्रावधान संहिता में नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार व्दारा अनावेदक को साक्ष्य पर प्रति–परीक्षण का अवसर

नहीं दिया गया और ना ही तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नायब तहसीलदार व्दारा पूर्व में निर्धारित वाद–बिन्दूओं पर भी कोई निष्कर्ष नही निकाला गया। अनावेदक व्दारा नायब तहसीलदार व्दारा की गयी अवैधानिक कार्यवाही के विरूध्द शिकायती आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था, अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ करने पर अनावेदक व्दारा आवेदनपत्र का अपील के रूप में निराकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा उभय पक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इसके जबाव में आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा अपर कलेक्टर के समक्ष 11–11–2011 को निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अपर कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 50 में संशोधन के अनुसार निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं होने से आदेश दिनांक 31–12–12 व्दारा खारिज की गयी है। इस आदेश की जानकारी होने पर आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकार के आदेश के विरूध्द निगरानी राजस्व मण्डल में 18–2–13 को प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब के लिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है। अतः उन्होंने विलम्ब माफ करने का अनुरोध किया।

6/ राजस्व मण्डल के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–10–11 के विरूध्द राजस्व मण्डल में दिनांक 18–2–13 को निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः अवधि बाह्य है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 11–11–2011 से 31–12–12 तक का विलम्ब गलत न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का क्षमा करने का अनुरोध किया है। अपर कलेक्टर के

आदेश दिनांक 31–12–12 की जानकारी दिनांक 21–1–13 को होना दर्शाया है, किन्तु जानकारी का श्रोत नहीं बतलाया गया। अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति हेतु दिनांक 21–1–13 को आवेदन देने पर दिनांक 8–2–13 को प्राप्त होना व आवेदक का बच्चा 15 फुट ऊपर से गिर जाने से दिनांक 8–2–13 से 17–2–13 तक उसका इलाज करना दर्शाया है, किन्तु इस संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूध्द निगरानी प्रस्तुत की गयी है और निगरानी के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। ऐसी दशा में 11–11–2011 से 31–12–12 तक का विलम्ब गलत न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से हुआ, उसे ही माफ किया जा सकता है जिसे कम किये जाने पर भी आवेदक व्दारा निगरानी निर्धारित 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं की गयी है और विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित नहीं है, इस कारण निगरानी समयावधि बाह्य होने से निरस्त योग्य है।

7/ मैने प्रकरण के गुण–दोष पर भी विचार किया। नायब तहसीलदार की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक 18–7–11 को आवेदक अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से अनावेदक/आवेदक साक्ष्य हेतु दिनांक 22–7–11 को नियत किया। पीठसीन अधिकारी नियत दिनांक को अवकाश पर होने से प्रकरण दिनांक 6–8–11 को प्रवाचक व्दारा नियत किया। दिनांक 6–8–11 को नायब तहसीलदार व्दारा अनावेदक साक्ष्य का अवसर समाप्त कर प्रकरण कोई भी उपस्थित नहीं होने पर आदेशार्थ नियत किया तथा पुनश्च कर अनावेदक, इस प्रकरण में आवेदक, की साक्ष्य लेकर व उन्हें सुनकर प्रकरण दिनांक 8–8–11 को आदेश हेतु नियत किया और दिनांक 8–8–11 को आदेश पारित कर अनावेदक का धारा 250 का आवेदनपत्र निरस्त किया। इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार व्दारा ना तो अनावेदक को साक्ष्य के प्रति–परीक्षण का अवसर प्रदत्त किया और ना

ही उन्हें आदेश पारित करने के पूर्व तर्क प्रस्तुत करने का ही अवसर प्रदान किया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश पत्रिका दिनांक 12–05–08 व्दारा उभय पक्ष को सुनने के बाद निम्न वाद बिन्दू निर्धारित किये गये थे–

1. वादग्रस्त भूमि से आवेदक को अनावेदक व्दारा कब बेकब्जा किया गया ?
2. वादग्रस्त भूमि से आवेदक को अनावेदक व्दारा किस प्रकार बेजा कब्जा किया गया ?

तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 8–8–11 में उक्त वाद बिन्दूओं पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तहसील का आदेश निरस्त कर प्रकरण उक्त वाद बिन्दूओं पर विधिवत निष्कर्ष निकालने व अनावेदक को पक्ष समर्थन का अवसर देने हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक या प्रकिया संबंधी त्रुटि नहीं की है। यह सही है कि अनावेदक व्दारा कलेक्टर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु कलेक्टर व्दारा आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही हेतु भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कार्यवाही प्रारम्भ करने पर अनावेदक व्दारा शिकायती आवेदन को अपील मानने हेतु आवेदन दिनांक 03–09–11 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति आवेदक को दिये जाने के बाद व उन्हें सुनवायी का समुचित अवसर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा देकर आदेश दिनांक 21–10–11 पारित किया गया है जिसे तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन समयावधि बाह्य होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–10–11 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0